कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जयपुर
मुख्यालय बनीपार्क फायर स्टेशन जयपुर

क्रमांकः– एफ.9(154)आ.फा./न.नि.ज/14/1106 दिनांकः– 19/8/14

प्रेषितः– श्रीमति मधु चौरडिया,
पत्नि श्री विनय चौरडिया,
निवासी 61, संग्राम कॉलोनी,
सी स्कीम जयपुर।

विषयः– खसरा संख्या 253 ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जयपुर में निर्मित किये जाने भवन की अस्थाई फायर अनापत्ति बाबत।

प्रसंगः– आपका प्रार्थना पत्र दिंनाक 28.01.2013 कें सदंर्भ मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा दिनांक 31.01.2013 को इस विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत/परिसर निमार्ण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरिक्षण किया गया आवेदक **श्रीमति मधु चौरडिया पत्नि श्री विनय चौरडिया खसरा नः 253 ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जयपुर** में उक्त भूखण्ड में बहुमंजिला इमारत/परिसर का निमार्ण सलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तो की पालना करने को बाध्य करते हुये अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1 भवन का निर्माण **जयपुर विकास प्राधिकरण**/नगर निगम जयपुर द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवम् नेशनल बिल्डिग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. निर्मित किये जाने वाले बहुमजिला भवन में नेशनल बिल्डिग कोड के अनुरूप फायर हाईड्रेन्ट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एग्सटीनग्युसर, एम.सी.पी मय हुटर, फायर डिडेक्शन सिस्टम मय फायर पेनल, फायर स्प्रींकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर पानी का टैक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को **बेसमेन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर प्रथम फ्लोर से 14 वी मजिल व टैरस तक 44.95 मीटर ऊचाई** की अस्थाई फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शाई गई मान्य होगी।
5. निमार्ण किये जाने वाले भवन के चारो ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहूॅचने हेतु व चारो तरफ धुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिग कोड एवम् जयपुर विकास प्राधिकरण विनिमय 2010 के अनुरूप न्यूनतम 18 फुट खाली स्थान (गलीयारा)रखना होगा एवम् उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व बाल्कानी का निर्माण निषेध होगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहूॅचे इसके लिये स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।

ईश्वर लाल जाट
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

D:New folder/ N-O-C New Latter 586